कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

क्रमांक :– स्था./2014/02 दिनांक :– 15.7.2014

::विज्ञप्ति::

राजसमन्द न्यायक्षेत्र (जिसमें पारिवारिक न्यायालय, राजसमंद को भी सम्मिलित किया गया हैं।) में वर्तमान में अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड PB–1, 5200–20200, ग्रेड–पे 1700/– रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–11(7)/एफडी(नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के तहत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह पर बतौर प्रोबेशन ट्रेनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999, के प्रावधानों के तहत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते है :–

रिक्त पद								योग
सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		
पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
9	4	1	–	2	–	3	1	20

उक्त आरक्षण में उत्कृष्ट खिलाडियों तथा विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार प्रभावी होगा । उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकती है जिस पर रोस्टर नियमानुसार प्रभावी होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाये जाने पर उनके पद अन्य वर्ग के अभ्यर्थी से नियमानुसार भरा जा सकेगा। उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रोबेशन ट्रेनी) के पद हेतु आवेदन करने वालों के लिये निम्नांकित आवश्यक योग्यतायें तथा शर्तें लागू होगी:–

1. राष्ट्रीयता

आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

2. आयु

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

आयु सीमा में छूट

(1) अनुसूचित जातिं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा।

(2) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा तथा अनुसूचित जातिं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(3) रिजर्व सैनिक अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(4) कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जाएगा और यदि परिणामिक आयु,विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जाएगा।

(5) ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठाई या अस्थाई हैसियत में सेवा कर रहा हो, जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के संबंध में निर्बन्धन नहीं होगा ।

(6) 1.3.1963 को या इसके पश्चात् बर्मा, श्रीलंका और केन्या से तथा पूर्वी अफ्रीकी देश टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए ऊपर वर्णित आयु सीमा 45 वर्ष से होगी और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के मामलों में 5 वर्ष की और छूट दी जायेगी ।

(7) ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(8) ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जाएगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धी के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(9) विधवाओं, विछिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह (तलाक) के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

3. शैक्षणिक योग्यता

उक्त पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उतीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

4. चरित्र

(I) आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के संबंध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो कि उसके रिश्तेदार नहीं हो) के दो चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह पूर्व के नहीं होने चाहिए।

(II) प्रत्येक आवेदक आवेदन–पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ–पत्र में अंकित करना होगा। आवेदक को 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निम्न प्रारूप में शपथ–पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा :–

<u>शपथ पत्र</u>

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती........................पुत्री/पुत्र श्री/श्रीमती.............................. निवासी...शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण लंबित या संस्थित नहीं है एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हैं ।

5. शारीरिक योग्यता

आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक अथवा मानसिक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और

आवेदक को इस पद के लिये चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संतान संबंधी सूचना

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नही होने की घोषणा का संलग्न प्रारूप में निम्न प्रारूप में घोषणा पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी अथवा प्रथम श्रैणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

संतान के संबंध में घोषणा पत्र

मैं.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....जाति .... उम्र .... वर्ष निवासी .... तहसील .... जिला .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

7. विवाह पंजीयन

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06. 2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख किया जावेगा एवं आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित आवेदक संलग्न प्रारूप–6 में 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निम्न प्रारूप में शपथ–पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:–

शपथ पत्र

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/श्रीमती .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हैं ।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी ....के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मै.................................... अविवाहित हूं । विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा या करूंगी ।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूं (पत्नी/पति श्री/श्रीमती .... था।

8. पेंशन योजना

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ15(7)एफडी(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 तथा इस सबंध में तत्पश्चात किये गये समस्त संशोधनों के योजना, मेडिकल अटेन्डेंड

रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण संबंधी सभी नये नियम प्रभावी/लागू होगें।

9. आवेदन पत्र

आवेदक को आवेदन पत्र सादे कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 13 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होगें । आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें। उक्त के अलावा आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण भरकर हस्ताक्षरित करना होगा।

10. आवेदन पत्र की अंतिम तिथि

आवेदन पत्र दिनाकं 7 अगस्त 2014 को कार्यालय समय (सांय 05:00 बजे) तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं । राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवदेन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।

11. साक्षात्कार

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेगें उन आवेदकों की सूची जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 17 अगस्त, 2014 को चस्पा कर दी जावेगी साक्षात्कार के संबंध में पृथक से कोई सूचना आवेदक को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। साक्षात्कार दिनांक 13 सितम्बर 2014 को प्रातः 10.30 बजे से एवं आवश्यकता होने पर दिनांक 14 सितम्बर, 2014 को भी जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, राजसमंद में लिया जावेगा । जिन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे, वे मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे । साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

12. अंतिम परिणाम :–

आवेदकों के साक्षात्कार पूर्ण होने के सात दिवस में अंतिम परिणाम घोषित किया जावेगा ।

13. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि व शपथ–पत्र संलग्न किये जाने चाहिए :–

(1) जन्म तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि,
(2) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि,
(3) अन्य कोई दक्षता/योग्यता/अनुभव हो तो तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि
(4) आरक्षण संबंधी/आयु सीमा में छूट चाहने संबंधी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि
(5) विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत् सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण –पत्र एवं तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिकी अथवा प्रमाण–पत्र
(6) छह माह की अवधि के अन्दर के दो उतरदायी व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार नहीं हो) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र
(7) विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत् आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

(9) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा प्रारूप संख्या 6 में शपथ पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

(10) आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि हो) की सत्य प्रतिलिपि

(11) स्वयं का पता लिखा हुआ 05/— रूपये का डाक–टिकिट सहित लिफाफा।

(12) दोषसिद्वि नहीं होने के बारे में शपथ पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

14. अन्य

(1) आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

(3) कोई भी पुरूष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

(4) ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

(5) ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी किया गया है, वो इस पद की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(6) उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई है।

(7) उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय का होगा।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

कमांक :— स्था./2014/ 2490 - 2513 दिनांक :— 15.7.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
3. जिला कलक्टर, जिला राजसमन्द
4. जिला नियोजन अधिकारी, राजसमन्द
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द
6. जिला सूचना अधिकारी, राजसमन्द
7. समाज कल्याण अधिकारी, राजसमन्द
8. न्यायालय ....
9. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
10. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी) : ....

आवेदक का नाम (अग्रेजी) : ....

2. पिता का नाम : ....

3. विवाहित होने पर पति/पत्नि का नाम : ....

4. जन्म तिथि (अंको में) : ....

(शब्दों में) : ....

दिनांक 01.01.2015 को आयु : ....वर्ष .... माह .... दिन

5. राष्ट्रीयता एवं जाति : ....

6. आरक्षित वर्ग का नाम (यदि हो) : ....

7. स्थाई निवास का पता : ....

....

....

8. वर्तमान निवास का पता : ....

....

....

9. मोबाईल/दूरभाष नं. : ....

10.रोजगार पंजीयन संख्या व स्थान : ....

11.शैक्षणिक योग्यता :–

क.सं.	कक्षा	बोर्ड/वि.विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रैणी /प्रतिशत

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

वॉछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधित
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र से संबंधित
3. आरक्षण चाहने, आयु में छूट चाहने से संबंधित
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र
5. विवाह संबंधित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र
6. संतान संबंधित घोषणा पत्र
7. अन्य दस्तावेज विज्ञप्ति के अनुसार